प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **100/2026** (अपील सूचना का अधिकार)
शैलेश कलासुआ पताः गांव बंजारिया, तहसील–खेरवाड़ा, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खेरवाड़ा, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 27/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक ऑनलाईन अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 05.03.2026 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संपरिवर्तन आदेश के संबंध में सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/100/26/606–07 दिनांक 30.04.2026 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा जरिये पत्रांक सू.अ./2005/2026/129 दिनांक 01.05.2026 से प्रत्युत्तर प्रेषित करने हेतु इस कार्यालय को अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवा दी गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रत्यर्थी द्वारा रसीदन उपलब्ध करवा दी गई है ऐसी स्थिति में अब अपील में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर उदयपुर
सत्यमेव जयते

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation : Collector and District Magistrate
Date: 2026.05.27 19:25:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22502137
M e-Sign